



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1840]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 7, 2010/भाद्र 16, 1932

No. 1840]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 7, 2010/BHADRA 16, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2010

का.आ. 2184(अ).—स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 42 की उप-धारा (1) और धारा 67 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, सीमा सुरक्षा बल के उपनिरीक्षक से ऊपर वाले पदों के अधिकारियों को यह शक्ति प्रदान करती है कि वे अपने क्षेत्राधिकार के भीतर, धारा 42 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं साथ ही साथ उक्त अधिकारियों को इस बात के लिए प्राधिकृत करती है कि वे धारा 67 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकें।

[फा. सं. एन-11012/2/2010-एन सी-II]

सत्य नारायण दाश, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 2010

S.O. 2184(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 42 and Section 67 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby empowers the officers of and above the rank of Sub-Inspector of the Border Security Force to exercise the powers and perform the duties specified in Section 42 within the areas of their respective jurisdiction and also authorises the said officers to exercise the powers conferred upon them under Section 67.

[F.No. 11012/2/2010-NC-II]

SATYA NARAYANA DASH, Under Secy.